

प्रेस नोट थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर दिनांक 10.06.2024

कूटरचित दस्तावेज द्वारा धोखाधड़ी करने के आरोप में 01 नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा धोखाधड़ी से संबंधित अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष चौरी चौरा के नेतृत्व में उ0नि0 राजेश कुमार सिंह मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0298/2024 धारा 419/420/467/468/471 भादवि0 से संबंधित वांछित अभियुक्त मो0 अलीम पुत्र मो0 कलीम निवासी ग्राम सोफियाना थाना रुदौली जनपद अयोध्या को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी मुकदमा को कुवैत जाने के लिए अभियुक्त द्वारा फर्जी व कूटरचित बीजा देने व 75000 रुपये लेने के संबंध में थाना स्थानीय पर प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मो0 अलीम पुत्र मो0 कलीम निवासी ग्राम सोफियाना थाना रुदौली जनपद अयोध्या

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 298//2024 धारा 419/420/467/468/471 भादवि0 थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम -

1. थानाध्यक्ष आशीष कुमार सिंह थाना चौरी चौरा गोरखपुर
2. उ0नि0 राजेश कुमार सिंह थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर
3. का0 चन्द्रभान शाह थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर

